तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम कालूराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्रा०पत्र सं. -3/2025
25.06.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट हेतु आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित व वकील अप्रार्थीगण भी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने दौराने बहस अवगत कराया कि भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रचलित रास्ता के प्रस्ताव में कृषि भूमि खसरा नम्बर 878, 875, 876, 921/1, 921/2, 868, 867, 855, 865, 927, 866 तन् ग्राम कचंनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में प्रस्तावित किया गया प्रचलित रास्ता कंचनपुर–कोटड़ी (सिमारला) सड़क से जाखड़ों की ढाणी – नालोट/जोरावर नगर रास्ते में जाकर मिलता है, जो मौके पर आवागमन हेतु चालू है। प्रस्तावित प्रचलित रास्ते को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त प्रस्ताव पर अधिकांश खातेदारान् के द्वारा सहमति बतौर अपने हस्ताक्षर अंकित किये गये है तथा जिन खातेदारान् के द्वारा सहमति बतौर हस्ताक्षर अंकित नहीं किये गये है। उन खातेदारान् की सुनवाई की जाने हेतु न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये थे। जिस पर खातेदारान् अप्रार्थीगण कालूराम, बोदूराम, श्रवण पुत्रगण नारायण, भोमाराम, नरेश पुत्रगण मक्खनलाल, दुर्गादेवी पत्नि कालूराम, रामूराम पुत्र महादेव, मुकेश पुत्र सुवाराम की ओर से श्री अनिल यादव, एड0 ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। शेष अप्रार्थीगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रस्तावित प्रचलित रास्ता कदीम से चालू होकर वर्तमान में भी चालू है। जिसको आम जन सार्वजनिक उपयोग–उपभोग में आवागमन के रूप में ... प्रचलित रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ... श्रीमाधोपुर ने प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता ... बाबत निवेदन किया है।
	वही दौरान बहस वकील अप्रार्थीगण ... अवगत कराया कि तन् ग्राम कंचनपुर के भूमि खसरा नम्बर 875, 878 पश्चिमी तरफ स्थित भूमि खसरा नम्बर 796, 798 तथा उत्तरी त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम सरकार

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
प्रा० पत्र [illegible] 3/2025	

स्थित भूमि खसरा नम्बर 877 के खातेदारान् काश्तकारान् व अन्य खातेदारान काश्तकारान् ने अपनी भूमियों में अप्रार्थीगण की भूमियों की सीमा को दबाते हुए अतिक्रमण कर रखा है। इसलिए न्यायहित में प्रचलित रास्ता का विधिवत रूप से सीमाज्ञान करवाकर दोनों तरफ के खातेदारान् काश्तकारान् की भूमियों में से बराबर–बराबर भूमि कायम करते हुए रास्ता प्रचलित पर जिन–जिन खातेदारान् का अतिक्रमण उनकी भूमि से अधिक सीमा में पाया जाता है तो उसको हटवाया जाकर ही प्रचलित रास्ता को राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज/तरमीम करवाये जाने बाबत अवगत कराया है। प्रचलित रास्ता के दोनों तरफ के खातेदारान् काश्तकारान् की भूमियों का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवाया जाकर दोनों तरफ के खातेदारान् काश्तकारान् की भूमियों में से बराबर–बराबर नाप अनुसार भूमि ली जाने एंव इसके उपरान्त ही प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज–तरमीम किये जाने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार को दिये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने प्रकरण में सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर व वकील अप्रार्थीगण की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई। पत्रावली पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्व ग्राम कचंनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खसरा नम्बर 878, 875, 876, 921/1, 921/2, 868, 867, 855, 865, 927, 866 में से प्रस्तावित किया गया प्रचलित रास्ता कंचनपुर–कोटडी (सिमारला) सडक से जाखडों की ढाणी – नालोट/जोरावर नगर रास्ते [illegible] मौके पर आवागमन हेतु चालू होना गुगल [illegible] की रिपोर्ट से भी प्रमाणित होता [illegible] प्रचलित रास्ते को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया ज[illegible] उक्त प्रस्ताव पर अधिकांश खातेदारान् के द्वारा उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै० मु० रास्ता कटवाने हेतु सहमति बतौर अपने हस्ताक्षर अंकित किया जाना प्रकट होता है। वो खातेदार जिनके द्वारा प्रचलित रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:08 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम कानून

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्रा०पत्र मुकदमा 3/2025

हेतु सहमति बतौर हस्ताक्षर अंकित नहीं किये गये है। उनको सुनवाई हेतु न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये जाकर उनको समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रकट होता है। भूमि खसरा नम्बर 878, 875, 876, 921/1, 921/2, 868, 867, 855, 865, 927, 866 में से मौके पर मौजूद प्रचलित रास्ता जो आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड नहीं है। उक्त रास्ता निजी खातेदारी भूमि में से होकर है। उक्त प्रचलित रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एंव 86 के प्रावधानों के तहत प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय को भिजवाये गये है जिस पर अधिकांश खातेदारान् सहमत है। जहाँ तक अधिवक्ता अप्रार्थी खसरा नम्बर 878, 875 की भूमियों पर अतिक्रमण का प्रश्न है। नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है कि उक्त दोनों खसरान् भूमियां की पश्चिमी सीमा पर प्रस्तावित रास्ता प्राचीन समय से प्रचलित डॉटेड रास्ते पर ही प्रस्तावित किया गया है तथा तहसीलदार रिपोर्ट में भी उक्त स्थान पर ही रास्ता चालू दिखाया गया है। अतः अतिक्रमण की आपत्ति निराधार प्रतीत होती है। इस प्रकार प्रस्तावित प्रचलित रास्ते के अकन बाबत आपत्ति के निराधार होने तथा मौके पर कदीम काल से प्रचलित रास्ते जिस हेतु अधिकांश खातेदारान् द्वारा सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये जाने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एंव 86 के प्रावधानों के तहत भिजवाये गये प्रस्ताव को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निम्नानुसार दिये जाते है :-

राजस्व ग्राम कचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खसरा नम्बर 878 रकबा 1.31 हैक्टर में से 0.036

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:08 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम काश्तकारान

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
प्रा० पत्र क्रमांक 3/2025	

हैक्टर, 875 रकबा 1.21 हैक्टर में से 0.0872 हैक्टर, 876 रकबा 2.92 हैक्टर मे से 0.0400 हैक्टर, 921/1 रकबा 1.23 हैक्टर में से 0.0520 हैक्टर, 921/2 रकबा 1.23 हैक्टर में से 0.0152 हैक्टर, 868 रकबा 1.06 हैक्टर में से 0.0510 हैक्टर, 867 रकबा 0.62 हैक्टर में से 0.0088 हैक्टर, 855 रकबा 0.77 हैक्टर में से 0.0008 हैक्टर, 865 रकबा 1.61 हैक्टर में से 0.0360 हैक्टर, 927 रकबा 0.05 हैक्टर में से 0.0480 हैक्टर, 866 रकबा 2.66 हैक्टर में से 0.0150 हैक्टर भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी कृषि भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति एंव संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावें एंव नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खाते ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रहेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:08 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)